नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

पेशी

राज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2024/15

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

श्री .... श्री ....

प्रहलाद बनाम तरूण वगैरह(2024 / 15)

10/1/25 प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.(बाजदायरी) प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.(बाजदायरी) प्रार्थना–पत्र पेश हुआ। अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02, 3, 4 / 1 उपस्थित। प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सी.पी.सी. पर अभिभाषक उभयपक्ष को सुना गगा। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जा.दी. एवं आदेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.(बाजदायरी) दिनांक 17.01.2025 को पेश हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

17/1/25 पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जा.दी. हेतु एवं आदेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.(बाजदायरी)हेतु पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष को दिनांक 10.01.2025 को सुना गया।

सर्वप्रथम हम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जा.दी. का निस्तारण करना उचित समझते है।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा प्रार्थना–पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना–पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सपठित धारा 151 जा.दी. को स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 01 तरूण के विधिक वारिसान क्रमशः प्रीति शर्मा पत्नि तरूण, मास्टर कृष्णा शर्मा पुत्र तरूण नाबालिग जरिये प्राकृतिक सरंक्षिका माता प्रीति शर्मा जाति ब्राहमण निवासी नवगृह मंदिर मेवाडी के पास, ब्यावर जिला ब्यावर को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है।

तत्पश्चात् प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.(बाजदायरी) का निस्तारण करना उचित समझते है।

अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया कि अपील मान्नीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.11.2023 को विचाराधीन थी। उक्त पेशी पर बरवक्त आवाजी प्रार्थी के अधिवक्ता अन्य न्यायालय में बहस में व्यस्त होने के कारण उपस्थित नहीं हो सके तथा जब मान्नीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए तो उन्हे बताया गया कि उक्त प्रकरण अदम हाजरी मे खारिज कर दिया गया। उपरोक्त कारण से प्रार्थी की अधिवक्ता की न्यायालय में बरवक्त आवाजें अनुपस्थिति सदभाविक थी चूँकि प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थी को यह आश्वासन दे रखा था कि उसे न्यायालय में हर पेशी पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है एवं वे स्वयं प्रार्थी की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर पैरवी करते रहेगें। इसी आवश्वासनवश प्रार्थी भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में उक्त अपील को पुनः नम्बर लिया जाना न्यायोचित है। मान्नीय राजस्व मण्डल एवं मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित अनेको सिद्धान्तो में यह स्पष्ट किया है कि प्रकरण को तकनीकी आधार पर निस्तारित न कर पक्षकारों के हक व अधिकारो का विधि सम्मत निर्धारण हेतु गुणावगुण पर निपटाने का प्रयास किया जाना चाहिए। न्यायहित में उक्त अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाकर अपील की सुनवाई गुणावगुण पर किया जाना आवश्यक है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि बाजदायरी आवेदन– पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त अपील को पुनः मूल नम्बर पर लिया जाकर अपील की सुनवाई गुणावगुण पर किये जाने के न्यायहित में आदेश प्रदान करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अज...

10/2024 | बाज. प्र. पत्र प्रहलाद ।।। तरफ०

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर... अहकाम... हुक्म को ... जारी हुए
	2024/18	
पेशी	श्री मंगलाराम चौधरी श्री ...	
लगातार	अभिभाषक अप्रार्थीगण ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि दिनांक 10.11.2023 को माननीय न्यायालय के समक्ष अपील वास्ते बहस हेतु नियत थी। अभिभाषक प्रार्थी / अपीलांट के उपस्थित नहीं होने पर अपील को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की है। जो विधि सम्मत है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि यदि न्यायहित में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जावे तो भारी कोस्ट पर स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत आवेदन–पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थना प्रस्तुत में हुई देरी को न्यायहित 500 रूपये की कोस्ट पर स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41नियम 19 व धारा 151 सी.पी.सी. पर स्वीकार किया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर करना उचित समझते है। उक्त कोस्ट अभिभाषक प्रार्थी, अप्रार्थीगण के अभिभाषक को अदा करें। **अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41नियम 19 व धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है एवं अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner